संख्या–1656 / 9–आ–3–2002–145टी0वी0पी0 / 65

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–24 जून, 2002

विषय : मानचित्र बनाये जाने की फीस की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–928 / 9–आ–3–92–145 टी0वी0पी0 65 दिनांक 8 मई, 1992 (प्रति संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ले–आउट तथा ब्लाक प्लान हेतु मानचित्र बनाये जाने की फीस दरों को 01 जून, 2002 से पुनरीक्षित किए जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। मानचित्र बनाये जाने की फीस की पुनरीक्षित दरें निम्न प्रकार होंगी :–

रीजनल प्लान तथा मास्टर प्लान के अनुरूप ले–आउट तथा ब्लाक प्लान तैयार करना।	**पुनरीक्षित फीस की दरें**
(क) 25 एकड़ तक (10 हैक्टेयर)	रू0–750 / – प्रति हैक्टेयर तथा न्यूनतम रू0–5000 / –
(ख) 25 एकड़ से अधिक किन्तु 100एकड़ तक (10 हैक्टेयर से अधिककिन्तु 40 हेक्टेयर तक)	रू0–625 / – प्रति हैक्टेयर
(ग) 101 एकड़ से 500 एकड़ तक (41 हैक्टेयर से 200 हैक्टेयर तक)	रू0–500 / – प्रति हैक्टेयर
(घ) 500 एकड़ से अधिक (201 हैक्टेयर से अधिक)	रू0–330 / – प्रति हैक्टेयर
(च) लेबलिंग के अतिरिक्त कार्य हेतु	भौतिक सर्वेक्षण मूल्य का 15 प्रतिशत अतिरिक्त

2. शासनादेश संख्या–928 / 9–आ–3–92–145 टी0वी0पी0 / 65 दिनांक 08 मई, 1992 उपरोक्तानुसार यथासंशोधित रूप में पढ़ा जाए।

3. अनुरोध है कि प्रश्नगत पुनरीक्षित दरों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजीव कुमार
विशेष सचिव।

संख्या :— संख्या—1656(1)/9—आ—3—2002—145टी.वी.पी/65, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम

उप सचिव।

संख्या :— 1656(2)/9—आ—3—2002—145टी.वी.पी/65, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम

उप सचिव।